(d) Backlog of unemployment in March 1995 would depend, *inter alia*, on the extent of employment generation that would take place during 1994-95.

गरीबी उन्मूलन

*78. **श्री इकबाल सिंह :**

श्री ईश दत्त यादव

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने देश से गरीबी के उन्मूलन के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में गरीबी के उन्मूलन और अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार रखती है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) गरीबी उन्मूलन भारत में नियोजित विकास का एक प्राथमिक उद्देश्य रहा है। ग्रामीण गरीबी की समस्या पर छठी योजना के दौरान अधिक ध्यान दिया गया था। यह महसूस किया गया कि गरीबी उन्मूलन की सतत कार्यनीति विकास की अपनी प्रक्रिया में ही उत्पादक रोजगार अवसरों को बढ़ाने पर आधारित होनी चाहिए।

बहरहाल, थोड़े समय में, जहां तक विकास प्रक्रिया समाज के कुछ तबकों तक नहीं पहुंचेगी, अतः सीधे राज्य हस्तक्षेप के माध्यम से गरीबों को अनुपूरक रोजगार तथा आय प्रदान करना आवश्यक है। गरीबी उन्मूलन के लिए चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीमें ये हैं। (i) **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)**, (ii) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.), (iii) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) तथा (iv) नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.] आठवीं योजना के ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम व्यापक आधार पर जारी रहेंगे।

(I) **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०)**

आई.आर.डी.पी. एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अभिनिर्धारित ग्रामीण परिवारों को दीर्घविधिक आधार पर गरीबी रेखा को पार करने हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों एवं उपयुक्त कौशल प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए सब्सिडी तथा बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। सब्सिडी पर होने वाले व्यय को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 50:50 आधार पर बांटा जाता है। लक्ष्य वर्ग में अधिकांशत : छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर तथा ग्रामीण कारीगर है। अब तक 42 मिलियन परिवारों को सहायता प्रदान की गई है।

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसैम) आई.आर.डी.पी. का एक सहायक घटक है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को स्वरोगजार कार्यक्रम शुरू करने के लिए तकनीकी तथा मूलभूत उद्यमी कौशल प्रदान किया जाता है, अभी हाल ही में ट्राइसैम प्रशिक्षु मजदूरी रोजगार शुरू कर सकते हैं। प्रति वर्ष 2–3 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास (डी.डब्लू.सी.आर.ए.) भी आई.आर.डी.पी. की एक उप स्कीम है, जिसम ग्रामीण परिवारों की महिला सदस्यों पर ध्यान दिया जाता है। इन महिलाओं की आय-सृजक कार्यकलाप शुरू करने के लिए सज्जित करने के उद्देश्य से 10–15 के दलों म संगठित किया जाता है। गरीब महिलाओं की रोजगार, कौशल निर्माण, प्रशिक्षण, ऋण तथा सहायक सेवाओं तक पहुंच को सुधारने के अतिरिक्त यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा तथा शिशु देखभाल जैसी अन्य सेवाओं की तरह लक्ष्य दल की ओर

भी ध्यान दिया जाएगा। गत वर्ष (1993–94) के दौरान 2,68,525 महिलाओं को शामिल करते हुए 15,483 दल बनाए गए थे।

(ii) **जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.)** : जे.आर.वाई. एक मजदूर रोजगार कार्यक्रम है, जो केन्द्र से 80 प्रतिशत निधियों तथा राज्यों द्वारा 20 प्रतिशत के अंशदान से 1 अप्रैल, 1989 से कार्यान्वित हो रहा है। जे.आर.वाई. का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करना है, दूसरा लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के प्रत्यक्ष तथा सतत लाभों के लिए उनके प्रति ग्रामीण आधार संरचना तथा परिसंपत्तियों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सतत रोजगार का सृजन करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति जे.आर.वाई. के अंतर्गत लक्ष्य दल है। वर्ष 1993–94 से देश में बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगारी के घनत्व वाले 120 पिछड़े जिलों को दिए जा रहे अतिरिक्त आवंटनों सहित जे.आर.वाई. स्कीम में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।

(iii) **रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस)** : भारत सरकार ने 2–10–93 को ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद तथा इच्छुक 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों को मंद कृषि मौसम के दौरान सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन सुनिश्चित आकस्मिक शारीरिक श्रम रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार आश्वासन स्कीम नामक एक नई स्कीम शुरू की ई.ए.एस. स्कीम गोवा, पंजाब, दिल्ली एवं पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 1778 अभिनिर्धारित पिछड़े ब्लाकों में कार्यान्वित की जा रही है। ये ब्लाक मुख्यतया सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरुस्थल क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है, में अवस्थित हैं।

(vi) **नेहरू रोजगार योजना (एन आर.वाई)** : नेहरू रोजगार योजना शहरी क्षेत्रों में अल्प-रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगार गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिये बनाई गई है, इसके तीन घटक हैं : (1) सब्सिडी, ऋण, प्रशिक्षण तथा आधार संरचना सहयोग प्रदान करके स्वरोजगार तथा कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये शहरी माईक्रो उद्यमों की स्कीम (एसयू.एम.ई), (2) शहरी मजदूरी रोजगार की स्कीम (एसयू डब्ल्यूई) शहरी गरीबों को मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करती है तथा (3) आवास तथा आश्रय उन्नयन की स्कीम (एसएचएएयू) निर्माण संबंधी कार्यों में तकनीकी प्रशिक्षण तथा सहायता उपलब्ध कराती है और आवास तथा आश्रय स्थल उन्नयन में समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लाभग्राहियों को सहायता प्रदान करती है। नेहरू रोजगार योजना पर होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 आधार पर बांटा जाता है

3. आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय तथा वास्तविक निष्पादन विवरण–1 में दिया गया है। (सीधे देखिये)

भूमि सुधार

उपलब्धता अभी भी ग्रामीण [illegible] के लिये जीवी अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। भूमि [illegible] स्वामित्व पहली अच्छी [illegible] है, बढ़ाईदारों के कानूनी तौर पर दर्ज अधिकारों के साथ कार्य काल की सुरक्षा से निवेश वृद्धि में सहायता मिलेगी तथा उससे कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी। अतः भूमि सुधार अब भी गरीबी उन्मूलन की कार्य नीति का एक अभिन्न अंग है, जिसमें मध्यस्थों की समाप्ति बढ़ाईदारी, सुधार, सीमा अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण, जीवों की चकबन्दी तथा भूमि रिकार्डों का अद्यतन तथा आधुनिक

बनाने पर जोर दिया जाता है, । भूमि सुधार राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हैं किन्तु सीमा अतिरेक भूमि के अधिन्यासियों को सहायता देने तथा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने के लिये केन्द्र प्रायोजित स्कीमें है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

5. पीडीएस का शुरू में गरीबी विरोधी उपाय की अपेक्षा मुख्यतया मुद्रास्फीति विरोधी प्रक्रिया के रूप में तैयार किया गया था अतः यह गरीबों तक सीमित नहीं था । इसके अन्तर्गत अनिवार्य जिन्स, विशेष रूप से खाद्यान्न उचित दर दुकानों के माध्यम से बाजार भाव से कम भाव पर उपलब्ध कराये जाते हैं, । हाल ही में यह महसूस किये जाने पर कि पीडीएस का और अधिक गरीबोन्मुख होना आवश्यक है, कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है । पुनर्गठित वितरण प्रणाली सूखा प्रवण और मरूस्थल क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित देश के 1778 बहुत पिछड़े और दूरस्थ ब्लाकों तक सीमित है । सामान्य पीडीएस आपूर्ति की कीमत से 50 रुपये प्रति क्विंटल कम की कीमत पर इन ब्लाकों को चावल और गेहूं की आपूर्ति की जाती है ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी.)

6. एमएनपी महत्वपूर्ण सामाजिक विकास कार्यक्रमों को आवश्यक धनराशि दिये जाने पर बल देता है जो जनता की जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं । एमएनपी के अन्तर्गत कवर किये गये घटक हैं : प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण सड़कें, पोषाहार, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, ग्रामीण घरेलू पाक ऊर्जा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शहरी गन्दी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार, राज्य सरकारों को योजनाओं में इनके लिये विशेष परिव्यय निर्धारित किये गये हैं । इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रकों में जहां और अधिक निधियां आवश्यक समझी गई वहां पर राज्य क्षेत्रकों में निधियों को प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्र प्रायोजित स्कीमें आरम्भ की गई हैं । एमएनपी के अन्तर्गत कार्यनीति में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदंडों के तहत सभी क्षेत्रों में मूलभूत सेवाओं और सुविधाओं के नेटवर्क को संस्थापित करना शामिल है ताकि सभी की, विशेष तौर पर, गरीबों की जीवन की इन मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके ।

7. राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन के लिये अनेक नीतियां/कार्यक्रम हैं जो दीर्घावधि में गरीबी दूर करने में मदद करेंगे, इनमें व्यापक साक्षरता, प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, सभी के लिये स्वास्थ्य, समाज कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण, महिलाओं और बच्चों और कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिये विशिष्ट स्कीमें शामिल हैं ।

8. यह परिकल्पना की गई है कि आठवीं योजना अवधि के दौरान 43 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन किया जायेगा । इनमें से अधिकांशतः कृषि और असंगठित क्षेत्रक में होंगे । जहां कम पढ़े लिखें और निरक्षर व्यक्तियों के लिये पर्याप्त रोजगार अवसर होंगे ।

विवरण-I

मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1992-93-94 तथा 1994-95 के दौरान वित्तीय निष्पादन

(लाख रु. में)

क्र. स.	कार्यक्रम	1992-93		1993-94		1994-95	
		कुल आवंटन	कुल व्यय	कुल आवंटन	कुल व्यय	कुल आवंटन	कुल व्यय (सितम्बर तक)
1.	आई आर डी पी	66222.00	69307.64	109343.00	95664.95	109822.00	28989.60
2.	जे आर वाई	316905.05	270476.20	318122.39	358841.82	349872.39	111175.82
	पहला चरण	—	—	87820.00	28850.26	87820.00	29415.91
	दूसरा चरण	—	—	54876.56*	18375.03	82495.00†	34659.08
3.	ईए एस	7100.00	7080.00	7497.00	7497.00	7000.00	एन.ए.
4.	एन आर वाई**						

*केन्द्र द्वारा दी गई राशि पर राज्य का अनुपातित हिस्सा ।

†केन्द्र द्वारा दी गई राशि 4 सितम्बर, 1994 तक राज्य का अनुपातिक हिस्सा ।

**केवल केन्द्रीय हिस्सा ।

मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान वास्तविक निष्पादन :

कार्यक्रम	1992–93		1993–94		1994–95	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
आई आर डी पी (परिवारों की संख्या जिन्हे सहायता दी गई/दी जानी है)	1875135	2068773	2569942	2538320	2115097	667134
जे आर वाई (लाख श्रम दिवस)	7537.95	7821.02	10383.26	9523.45	8389.48	2486.43
आई जे आर वाई (श्रम दिवस)	—	—	—	713.36	1976.05	704.40
ई ए एस (लाख श्रम दिवस)	—	—	—	494.74	—	796.75

अनुबंध–II

एनआरवाई के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां (वास्तविक)

आरम्भ से 1994–95 तक (31.8.94 की स्थिति के अनुसार) एन आर वाई के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

(आंकड़े लाख में)

	1993–94 तक		1994–95 (31.8.94 तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
माइक्रो उद्यम आरम्भ करने के लिए जिन लाभग्राहियों को सहायता दी गई उनकी संख्या	5.04	5.31	1.20	0.61
एस यू एम ई के अंतर्गत प्रशिक्षत/ प्रशिक्षण ले रह व्यक्तियों की संख्या	1.42	1.20	0.40	0.20
एस यू डब्ल्यू ई के अंतर्गत सृजित किए गए काय क श्रम-दिवस	372.42	343.68	35.00	27.19
एम एच एएस यू के अंतर्गत उन्नत/ उन्नतिशील आवास एककों की संख्या	6.40	3.12	1.60	0.60
एस एच ए एस यू के अंतर्गत सृजित किए गए कार्य के श्रम-दिवस	433.22	131.64	65.00	—
एस एच ए एस यू के अंतर्गत प्रशिक्षित/ प्रशिक्षण ले रहे व्यक्ति ।	0.94	0.45	0.15	—

Foreign Trade Performance

79. SHRI GOVIND RAO ADIK : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether India's foreign trade performance for the first four months (April—July, 1994) of the current financial year has a satisfactory result in the growth of exports as against the target set ;

(b) if so, what are the figures as compared to the last year for the same period ; and

(c) if the performance is not satisfactory, what are the reasons for the downward trend and what steps Government have taken to ensure that it comes upto the mark during the next four months (August-November, 1994) of the current financial year ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) to (c) Details of India's exports during the period April—July, 1994 and those for the